न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही
बईजलास श्री सुरेन्द्र कुमार सोलंकी आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 10/2004

अपीलार्थी	बनाम	रेस्पोडेन्ट
श्री शशीकांत पुत्र श्री गंगाराम जाति कोलीढोर निवासी हाल आबूपर्वत जिला सिरोही जरिये मुख्तार बी.के. शांताराम पुत्र खोडे रामकृष्णा निवासी आबूपर्वत।		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, आबूरोड

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :

1. श्री अश्विन मरडिया, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. नायब तहसीलदार(पेरोकार राज)

निर्णय

दिनांक : 19.02.2020

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार, आबूरोड द्वारा उनके मुकदमा संख्या 45/2003 में पारित आदेश दिनांक 10.3.2004 के विरूद्ध दिनांक 1.5.2004 को प्रस्तुत की जो दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलांट अधिवक्ता के निवेदन पर अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी किया गया । अभिलेख दिनांक 17.02.2020 को प्राप्त होने एवं सम्मन तामिल होने पर दोनों पक्षों की बहस सुनी गई । अपीलार्थी के लायक अधिवक्ता श्री अश्विन मरडिया द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि नायब तहसीलदार, आबूरोड द्वारा ग्राम सालगांव पटवार हल्का ओरीया तहसील आबूरोड के खसरा नम्बर 435 एवं 436 रकबा 0.05 एवं 0.09 कुल 14 बिस्वा किस्म बारानी एवं बंजर पर अपीलार्थी की खातेदारी भूमि है। जिस पर बिना अनुमति के 2040 वर्ग फिट पर निर्माण कार्य किया जाने पर अतिक्मी मान कर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90(ए),91 के तहत नोटिस जारी किया गया जो नोटिस अपीलांट को तामिल करवाया गया जिसे अपीलांट पर तामिल मानते हुए उसे उपस्थित बताकर निर्णय पारित कर दिया । अपीलांट को हाजिर बताते हुए भौतिक रूप से बेदखल करने एवं रूपये 50/– का जुर्माना आरोपित करने के आदेश पारित किये गये । जो कानूनी रूप से उचित एवं विधिसम्मत नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान लेना बताया है किन्तु अपीलांट को जिरह करने का कोई अवसर नही दिया है ना ही अपीलांट को किसी तरह का कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है । अपीलांट द्वारा न तो कोई अतिक्रमण किया गया है या विवादित भूमि पर कब्जा किया गया है ।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.06 13:20:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

किसी भी खातेदार को उसकी खातेदारी भूमि में 500 वर्गगज तक निर्माण करने हेतु नियमों में अनुमति की कोई आवश्यकता नही है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध हैं। इस संबंध मे उनके द्वारा विधिक दृष्टान्त राजस्थान भू राजस्व कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ भूमि संपरिवर्तन नियम 1971 के नियम 12 राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर की निगरानी संख्या 55/76 भंवरलाल बनाम सरकार में पारित निर्णय 07.08.1995 राजस्व ग्रुप (6) विभाग के पत्र 23.05.1992, 30.03.1995 एवं डीएनजे 2015(2) पेज 593 एआईआर 2015 पेज 40 प्रस्तुत कर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया गया । रेस्पोडेन्ट की ओर से बहस में पेरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित भूमि पर अपीलार्थी द्वारा खातेदारी भूमि पर बिना अनुमति निर्माण कर मकान बनाया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने में किसी तरह की कोई कानूनी त्रुटी नही की गई है । अपीलान्ट को पेशी का नोटिस तामिल शुदा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध है । विवादित भूमि बारानी एवं बंजर किस्म की है। कृषि भूमि पर बिना अनुमति अकृषि कार्य नही होने की रक्षा करना प्रशासन का प्रथम दायित्व बनता है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे ।

मैनें दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भलीभॉति अध्ययन एवं अवलोकन किया । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया तो मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में बारानी एवं बंजर दर्ज है । अपीलार्थी को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वर्ष 2003 मे खातेदारी भूमि में बिना अनुमति अकृषि कार्य/निर्माण करने से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90(ए),91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। जिसमे विवादित भूमि से निर्माण हटाकर भूमि रिक्त करने की अपेक्षा की गई थी। उक्त नोटिस अपीलांट को तारीख पेशी से पूर्व तामिल कराया गया था एवं अपीलांट तारीख पेशी पर अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुआ। पंजीकृत एडी द्वारा तामिल शुदा नोटिस अधिनस्थ न्यायालय मे पोस्ट मेन द्वारा प्रस्तुत किया। जो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे मौजूद है। अपीलान्ट अधिवक्ता का यह कथन कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उसे नोटिस जारी किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर [illegible] योग्य प्रतीत नही होता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली [illegible] है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह कथन अपने आदेशिका [illegible] किया गया है कि अपीलान्ट अधिवक्ता हाजिर है अलग से लिखे गये निर्णय मे उसे उपस्थित बताया गया है । अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त निर्णय पर अपने हस्ताक्षर दिनांक 10.3.2004 को किये जाने पाये जाते है । अपीलांट को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया गया है।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.06 13:20:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अपीलांट अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त राजस्थान भू राजस्व कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ भूमि संपरिवर्तन नियम 1971 के नियम 12 राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर की निगरानी संख्या 55/76 भंवरलाल बनाम सरकार में पारित निर्णय 07.08.1995 राजस्व ग्रुप (6) विभाग के पत्र 23.05.1992, 30.03. 1995 प्रस्तुत किये गये है। उनका विवेचन अपने निर्णय में सही रूप से किया जाना नही पाया जाता है। जिसे कतई न्याय सम्मत नही कहा जा सकता इस न्यायालय में दौराने बहस प्रस्तुत विधिक दृष्टांत डीएनजे 2015(2) पेज 593 एआईआर 2015 पेज 40 का पूर्ण रूप से अवलोकन किया गया उक्त विधिक दृष्टांत विचारणीय अपील में चस्पा होना नही पाया जाता है चूंकि अपीलांट की भूमि खातेदारी भूमि होने से उसके 1/50 वें भाग पर निर्माण कार्य करने पर अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया गया है हस्तगत भूमि ग्राम ओरिया की खातेदारी भूमि है। अतः प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाकर प्रकरण को रिमांड किया जाता हैं कि अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर विधिक दृष्टांतो के अनुरूप समस्त प्रकिया पूर्ण कर विधि अनुरूप कार्यवाही करने के आदेश दिये जाते है ।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया ।

(सुरेन्द्र कुमार सोलंकी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.06 13:20:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner